



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्कुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 211/11 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय स्पे0 जज ईसी एक्ट/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बल्लू उर्फ रामविशाल सैनी पुत्र कठोरी सैनी नि0 तिंदौली थाना श्रीनगर जनपद महोबा 2.जुगुल कुमार उर्फ दह्दा पुत्र विन्दावन राजपूत नि0 कुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर 3.शहजाद अली पुत्र मजिद अली नि0मु0 काजीपुरा तालाब कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹5,000-5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0 जमीरुल
हसन



पैरोकार- थाना मुस्कुरा
हे0का0 ज्ञानेन्द्र